भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3441 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

जलमार्गों में नौगम्य गहराई का रखरखाव

†3441. श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के बीच प्रमुख चैनलों में नौगम्य गहराई बनाए रखने के लिए संयुक्त समझौते/प्रचालनात्मक प्रारूप पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने विशेष उथले गहराई वाले ड्रेजर लगाए गए हैं, कैपिटल ड्रेजिंग ठेके निष्पादित किए गए हैं और कार्गो चैनलों को खुला रखा गया है;

(ग) विशेष रूप से बिहार राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के साथ-साथ कितनी विशिष्ट प्रगति हुई है, नदी तलछट की मात्रा कितनी है और न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) कितनी रखी गई है;

(घ) वर्ष भर सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक फेयरवे विकास अनुबंधों और नदी प्रशिक्षण उपायों को शामिल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचालनात्मक ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या सरकार ने उच्च क्षमता वाली ड्रेजिंग तकनीक शुरू करने, सहायक नदियों में प्रचालनों को बढ़ाने और वाणिज्यिक और क्रूज जलयानों के लिए यातायात व्यवधानों को रोकने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली), रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और रा.ज.-16 (बराक नदी) के नौचालन चैनलों में नौगम्य

गहराई बनाए रखने के लिए समझौता ज्ञापन /प्रचालनात्मक प्रारूप हस्ताक्षरित किया गया है, जिसका विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): वर्तमान में, निम्न विवरण के अनुसार रखरखाव ड्रेजिंग करने के लिए कुल 34 कम गहराई वाले ड्रेजर तैनात किए गए हैं:

(i) रा.ज.-1: जलयानों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही के लिए आवश्यक नौगम्य गहराई सुनिश्चित करने हेतु अनुबंध ड्रेजिंग के माध्यम से एंड-टू-एंड फेयरवे का विकास किया जा रहा है। रा.ज.-1 पर रखरखाव ड्रेजिंग के लिए ड्रेजिंग अनुबंध एजेंसियों के माध्यम से 17 ड्रेजर और 7 विभागीय ड्रेजर तैनात किए गए हैं।

(ii) रा.ज.-2 और रा.ज.-16: आवश्यक नौगम्य गहराई के नौचालन चैनलों के रखरखाव के लिए, डीसीआई के साथ अनुबंध के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र में कुल 07 ड्रेजर तैनात किए गए हैं, जिनमें से 05 ड्रेजर रा.ज.-2 पर और 02 ड्रेजर रा.ज.-16 पर तैनात हैं।

(iii) रा.ज.-3 (केरल में पश्चिमी तट नहरें): रा.ज.-3 पर एडापल्लीकोटा और कोल्लम के बीच के जलखंड में संकीर्ण नहरों की ड्रेजिंग और चौड़ीकरण का कार्य 1 निजी ड्रेजर की तैनाती के माध्यम से अनुबंध पर शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, केरल में रा.ज.-3 में विभिन्न स्थानों पर रखरखाव ड्रेजिंग के लिए 02 विभागीय ड्रेजर तैनात किए गए हैं।

(ग): नौगम्य फेयरवे के रखरखाव को सुविधाजनक बनाने के लिए त्रिवेणी से वाराणसी तक रा.ज.-1 पर ड्रेजिंग का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। त्रिवेणी से बाईं के जलखंड में, 3.0 मीटर की न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) बनाए रखने के लिए सुनिश्चित गहराई अनुबंध के तहत ड्रेजिंग की जा रही है, जबकि बाईं से वाराणसी जलखंड में, न्यूनतम 2.5 मीटर एलएडी बनाए रखने के लिए मात्रा-आधारित अनुबंधों के तहत ड्रेजिंग की जा रही है। मात्रा-आधारित ड्रेजिंग अनुबंधों के तहत, 42.68 लाख घन मीटर तलछट की ड्रेजिंग की गई है, जिसमें से 22.81 लाख घन मीटर बिहार में आने वाले जलखंडों से संबंधित है।

(घ): आईडब्ल्यूएआई, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों, नदी मॉर्फोलॉजी और यातायात आवश्यकताओं के आधार पर रा.ज.-1 पर एक दीर्घकालिक, पहुंच-विशिष्ट फेयरवे विकास फ्रेमवर्क अपनाता है। इस फ्रेमवर्क में निष्पादन-आधारित और मात्रा-आधारित ड्रेजिंग अनुबंध शामिल हैं, जिन्हें नदी संरक्षण उपायों जैसे कि बैंडालिंग, चैनल ट्रेनिंग और तकनीकी रूप से, जहां भी संभव हो, नौवहन सहायक उपकरणों की तैनाती द्वारा समर्थित हैं। वर्ष भर सुरक्षित और विश्वसनीय पोत परिवहन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नदी व्यवहार और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अनुसार हस्तक्षेप को अनुकूलित करने के लिए इस कार्यनीति की समय-समय पर

समीक्षा की जाती है। फेयरवे विकास अनुबंध तीन वर्षों के लिए दिए गए हैं जिनमें इसे आगामी दो वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान है।

(ङ): आईडब्ल्यूएआई ने नौगम्य फेयरवे के रखरखाव के लिए विशेष कम गहराई वाले ड्रेजर, आधुनिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण प्रणालियों और निरंतर चैनल मॉनिटरिंग को अपनाया है। ड्रेजिंग कार्यों की योजना और प्राथमिकता नौचालन आवश्यकताओं और प्रचलित नदी स्थितियों के आधार पर बनाई जाती है, जिनमें सहायक जलमार्ग, जहाँ भी आवश्यकता हो, भी शामिल हैं पर आधारित होती है। जलोढ़ नदियों की डायनेमिक मॉर्फोलॉजी, मौसमी तलछट और पर्यावरण की दृष्टि से विनियमित खंडों को ध्यान में रखते हुए, ड्रेजिंग प्रचालन संधारणीय नदी प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए वाणिज्यिक और क्रूज जलयानों की आवाजाही में व्यवधान को कम करने के लिए एक समन्वित तरीके से किए जाते हैं।

अनुबंध

दिनांक 7.8.2026 के उत्तरित लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3441 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

नौगम्य गहराई बनाए रखने के लिए आईडब्ल्यूएआई और डीसीआई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन /प्रचालनात्मक प्रारूप

राष्ट्रीय जलयान (रा.ज.)	**समझौता ज्ञापनों का विवरण**
1. रा.ज. -1	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता (एसएमपीके) को मल्टीमोडल टर्मिनल हल्दिया तक हल्दिया एक्सेस चैनल को बनाए रखने का फेयरवे विकास कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, एसएमपीके और डीसीआई के बीच प्रचालन व्यवस्था के तहत, एसएमपीके की देखरेख और मॉनिटरिंग में डीसीआई द्वारा रखरखाव ड्रेजिंग निष्पादित की जा रही है।
2. उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में रा.ज. - 2 और अन्य रा.ज.	समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, आईडब्ल्यूएआई ने डीसीआई को रा.ज.-2 पर बांग्लादेश सीमा से जोगीघोपा और जोगीघोपा से पांडु तक, और रा.ज.-16 पर भंगा से बदरपुर तक के जलखंडों में ड्रेजिंग के माध्यम से तीन वर्षों की अवधि के लिए फेयरवे के रखरखाव के लिए ड्रेजिंग कार्य सौंपे हैं।
